आई. सी. 24- जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष

➢

पुस्तक में मूल पाठ -पाठ **13 पृष्ठ क्र 409**

- एफडीआई मानदंडों के अनुसार, भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी भागीदारी 26% इक्विटी / सामान्य साझा पूंजी तक सीमित थी एव शेष राशि भारतीय प्रमोटर इकाइयों द्वारा वित्त पोषित होती थी. संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ाकर 49% करने के लिए बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2015 पारित कर दिया है।:

संशोधित पाठ के रूप में - पाठ **13 पृष्ठ क्र 409**

- एफडीआई मानदंडों के अनुसार, भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी भागीदारी 49% इक्विटी / सामान्य साझा पूंजी तक सीमित थी एव शेष राशि भारतीय प्रमोटर इकाइयों द्वारा वित्त पोषित होती थी. संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ाकर 74% करने के लिए बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 पारित कर दिया है।:

पुस्तक में मूल पाठ - पाठ **14 पृष्ठ क्र. 421.**

2. **शिकायतों के निवारण की** 3-**स्तरीय प्रणाली को समझें**.

[**अध्ययन परिणाम b**]

इस अधिनियम में जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शिकायतों के निवारण की तीन-स्तरीय अर्ध-न्यायिक प्रणाली की परिकल्पना की गई है.

जिला मंच	**राज्य मंच**	**राष्ट्रीय मंच**
संरचना : अध्यक्ष (जिला न्यायाधीश) एवं दो अन्य सदस्य (1 महिला सदस्य)	अध्यक्ष (उच्च न्यायालय न्यायाधीश) एवं दो अन्य सदस्यों से कम नहीं (1 महिला सदस्य)	अध्यक्ष (उच्चत्तम न्यायालय न्यायाधीश) एवं चार अन्य सदस्यों से कम नहीं (1 महिला सदस्य)
वित्तीय क्षेत्राधिकार : सेवाओं एवं किया गया क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख मूल्य रुपये से अधिक नहीं होगा.	सेवाओं एवं किए गए क्षतिपूर्ति का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक होगा, लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा.	सेवाओं एवं मुआवजे का दावा 1 करोड़ मूल्य रुपये से अधिक होगा
जिला फोरम के आदेश के खिलाफ अपील आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर राज्य आयोग में की जा सकती है.	राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ अपील आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग में की जा सकती है.	राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ अपील आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है.
अपील पंचाट के 50 प्रतिशत अथवा 25,000 रुपए, जो भी कम हो के जमा करने के अधीन होगी.	अपील निर्णय के 50 प्रतिशत अथवा 35000/- रुपए की राशि, जो भी कम हो,के जमा करने के अधीन होगी.	अपील निर्णय का 50 प्रतिशत अथवा 50000 रुपए की राशि,जो भी कम हो, के जमा करने के अधीन होगी.

संशोधित पाठ के रूप में - **पाठ 14 पृष्ठ क्र.421.**

2. **शिकायतों के निवारण की** 3-**स्तरीय प्रणाली को समझें**.

[**अध्ययन परिणाम** b]

इस अधिनियम में जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शिकायतों के निवारण की तीन-स्तरीय अर्ध-न्यायिक प्रणाली की परिकल्पना की गई है.

जिला आयोग	**राज्य आयोग**	**राष्ट्रीय आयोग**
संरचना : अध्यक्ष (जिला न्यायाधीश) एवं दो अन्य सदस्य (1 महिला सदस्य)	अध्यक्ष (उच्च न्यायालय न्यायाधीश) एवं दो अन्य सदस्यों से कम नहीं (1 महिला सदस्य)	अध्यक्ष (उच्चत्तम न्यायालय न्यायाधीश) एवं चार अन्य सदस्यों से कम नहीं (1 महिला सदस्य)
वित्तीय क्षेत्राधिकार : सेवाओं एवं किया गया क्षतिपूर्ति का दावा 1 करोड़ मूल्य रुपये से अधिक नहीं होगा.	सेवाओं एवं किए गए क्षतिपूर्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक होगा, लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा.	सेवाओं एवं मुआवजे का दावा 10 करोड़ मूल्य रुपये से अधिक होगा
जिला आयोग के आदेश के खिलाफ अपील आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर राज्य आयोग में की जा सकती है.	राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ अपील आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग में की जा सकती है.	राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ अपील आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है.
अपील पंचाट के 50 प्रतिशत अथवा 25,000 रुपए, जो भी कम हो के जमा करने के अधीन होगी.	अपील निर्णय के 50 प्रतिशत अथवा 35000/- रुपए की राशि, जो भी कम हो,के जमा करने के अधीन होगी.	अपील निर्णय का 50 प्रतिशत अथवा 50000 रुपए की राशि,जो भी कम हो, के जमा करने के अधीन होगी.

पुस्तक में मूल पाठ - पाठ **14 पृष्ठ क्र. 422.**

स्व: परीक्षण 2

जिला फोरम में शिकायत दर्ज करने के मामले में; निम्नलिखित में से साथ कौन सा है?

A. सेवाओं एवं दावा क्षतिपूर्ति का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा.
B. दावा की गयी सेवाओं का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा.
C. दावा की गयी क्षतिपूर्ति का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा.
D. सेवाओं एवं क्षतिपूर्ति का दावा मूल्य 20 लाख से अधिक होगा.

पुस्तक में मूल पाठ - पाठ **14 पृष्ठ क्र. 434.**

स्व: परीक्षण के उत्तर

प्रश्न 2 **का उत्तर**

सही उत्तर **A** है.

जिला फोरम में दायर की गई शिकायत के मामले में, दावा की गई सेवाओं और मुआवजे का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा.

संशोधित पाठ के रूप में -पाठ **14 पृष्ठ क्र. 422.**

स्व: परीक्षण 2

जिला आयोग में शिकायत दर्ज करने के मामले में; निम्नलिखित में से साथ कौन सा है?

A. सेवाओं एवं दावा क्षतिपूर्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा.
B. दावा की गयी सेवाओं का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा.
C. दावा की गयी क्षतिपूर्ति का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा.
D. सेवाओं एवं क्षतिपूर्ति का दावा मूल्य 20 लाख से अधिक होगा

संशोधित पाठ के रूप में -पाठ **14 पृष्ठ क्र. 434.**

स्व: परीक्षण के उत्तर

प्रश्न 2 **का उत्तर**

सही उत्तर **A** है.

जिला आयोग में दायर की गई शिकायत के मामले में, दावा की गई सेवाओं और मुआवजे का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा.

पुस्तक में मूल पाठ -पाठ **10 पृष्ठ क्र 336 point a) धारा 80 सी के अंतर्गत कटौती** **
अन्य के साथ निम्न के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत पूर्व वर्ष में 1,00,000 रुपये की राशि का भुगतान या जमा की आय से कटौती की अनुमति होगी :

संशोधित पाठ के रूप में - पाठ **10 पृष्ठ क्र 336 point a) धारा 80 सी के अंतर्गत कटौती** **
अन्य के साथ निम्न के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत पूर्व वर्ष में 1,50,000 रुपये की राशि का भुगतान या जमा की आय से कटौती की अनुमति होगी :

पुस्तक में मूल पाठ
पाठ **10 पृष्ठ क्र 338 point C)** केंद्र सरकार एवं अन्य नियोक्ताओं की पेंशन योजनाओं में योगदान

केंद्र सरकार के कर्मचारी या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा धारा 80 सीसीसीडी जमा के अंतर्गत पेंशन योजना में योगदान के लिए उसके वार्षिक वेतन की 10% से अधिक राशि उसके वेतन से कटौती योग्य नहीं है. इसी तरह केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी के खाते में किया गया योगदान ऐसे कर्मचारियों की आय से कटौती योग्य है बशर्ते ऐसा योगदान कर्मचारियों के वेतन के 10% से अधिक न हो.
धारा 80 सीसीई के अंतर्गत धारा 80 सी एवं 80 सीसीसी (1) एवं 80 सीसीडी के अंतर्गत कटौती की कुल राशि किसी भी मामले में 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होगी.

संशोधित पाठ के रूप में
पाठ **10 पृष्ठ क्र 338 point C)** केंद्र सरकार एवं अन्य नियोक्ताओं की पेंशन योजनाओं में योगदान

केंद्र सरकार के कर्मचारी या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा धारा 80 सीसीसीडी जमा के अंतर्गत पेंशन योजना में योगदान के लिए उसके वार्षिक वेतन की 10% से अधिक राशि उसके वेतन से कटौती योग्य नहीं है. इसी तरह केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी के खाते में किया गया योगदान ऐसे कर्मचारियों की आय से कटौती योग्य है बशर्ते ऐसा योगदान कर्मचारियों के वेतन के 10% से अधिक न हो.
धारा 80 सीसीई के अंतर्गत धारा 80 सी एवं 80 सीसीसी (1) एवं 80 सीसीडी के अंतर्गत कटौती की कुल राशि किसी भी मामले में 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी जो 01.04.2015 से प्रभावी किए गए हैं.

पुस्तक में मूल पाठ- पाठ **10 पृष्ठ क्र 344**

स्वयं परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 3

आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर योग्य आय से व्यक्ति अधिकतम कितनी कटौती कर सकता है?

A. 50,000 रुपये

B. 1,00,000 रुपये

C. 1,50,000 रुपये

D. 2,00,000 रुपये

पुस्तक में मूल पाठ- पाठ **10 पृष्ठ क्र 346.**

स्वयं परीक्षा के उत्तर

प्रश्न 3 **का उत्तर**

सही उत्तर B है.

कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत 1,00,000 रुपये की अधिकतम कटौती के कर योग्य आय से लाभ उठा सकता है.

संशोधित पाठ के रूप में
पाठ 10 पृष्ठ क्र 344

स्वयं परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 3

01.04.2015 से प्रभावी किए गए आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर योग्य आय से व्यक्ति अधिकतम कितनी कटौती कर सकता है?

A. 50,000 रुपये

B. 1,00,000 रुपये

C. 1,50,000 रुपये

D. 2,00,000 रुपये

संशोधित पाठ के रूप में
पाठ 10 पृष्ठ क्र 346.

स्वयं परीक्षा के उत्तर

प्रश्न 3 **का उत्तर**

सही उत्तर C है.

कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत 1,50,000 रुपये की अधिकतम कटौती के कर योग्य आय से लाभ उठा सकता है जो 01.04.2015 से प्रभावी किए गए हैं.

पुस्तक में मूल पाठ -**02 पृष्ठ क्र 22-** 2.1 उच्च न्यायालयों का संविधान

d) भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं. इन न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित पर है:

- ✓ एक राज्य;
- ✓ एक केंद्र शासित प्रदेश; या
- ✓ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह

संशोधित पाठ के रूप में - पाठ **02 पृष्ठ क्र 22-**2.1 उच्च न्यायालयों का संविधान

d) भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं. इन न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित पर है:

- ✓ एक राज्य;
- ✓ एक केंद्र शासित प्रदेश; या
- ✓ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह

पुस्तक में मूल पाठ -**02 पृष्ठ क्र 22- 23 –** 2.1 उच्च न्यायालयों का संविधान

1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ)
2	आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण हैदराबाद में है [आंध्र, तेलंगाना #]
3	बम्बई उच्च न्यायालय [महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली #] (पणजी*)
4	कलकत्ता उच्च न्यायालय (पोर्ट ब्लेयर*)
5	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय - वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण बिलासपुर में है
6	दिल्ली उच्च न्यायालय [राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली #]
7	गुवाहाटी उच्च न्यायालय [असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड #] (आइजोल, इटानगर, कोहिमा*)
8	गुजरात उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण अहमदाबाद में है
9	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण शिमला में है
10	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण श्रीनगर/जम्मू (सर्दियों में) में है
11	झारखंड उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण राँची में है
12	कर्नाटक उच्च न्यायालय - वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण बैंगलुरू [धारवाड़, गुलबर्गा*] में है
13	केरल उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण कोच्ची [केरल, लक्षद्वीप#] में है
14	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण जबलपुर (ग्वालियर, इंदौर*) में है
15	मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै*) [तमिलनाडु, पांडिचेरी #]
16	मणिपुर उच्च न्यायालय - वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण इम्फाल में है

17	मेघालय उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण शिलांग में है
18	ओडिशा उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण कटक में है
19	पटना उच्च न्यायालय
20	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण चंडीगढ़ [पंजाब, हरियाणा, चंड़ीगढ़#] में है
21	राजस्थान उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण जोधपुर (जयपुर*) में है
22	सिक्किम उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण गंगटोक में है
23	त्रिपुरा उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण अगरतला में है
24	उत्तराखंड उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण नैनीताल में है

संशोधित पाठ के रूप में - पाठ **02 पृष्ठ क्र 22- 23**

क्रम सं.	**उच्च न्यायालय का नाम**
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ)
2	आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय
3	बम्बई उच्च न्यायालय [महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली #] (पणजी*)
4	कलकत्ता उच्च न्यायालय (पोर्ट ब्लेयर*)
5	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय - वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण बिलासपुर में है
6	दिल्ली उच्च न्यायालय [राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली #]
7	गुवाहाटी उच्च न्यायालय [असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड #] (आइजोल, इटानगर, कोहिमा*)
8	गुजरात उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण अहमदाबाद में है
9	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण शिमला में है
10	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण श्रीनगर/जम्मू (सर्दियों में) में है
11	झारखंड उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण राँची में है
12	कर्नाटक उच्च न्यायालय - वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण बैंगलुरू [धारवाड़, गुलबर्गा*] में है
13	केरल उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण कोच्ची [केरल, लक्षद्वीप#] में है
14	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण जबलपुर (ग्वालियर, इंदौर*) में है
15	मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै*) [तमिलनाडु, पांडिचेरी #]
16	मणिपुर उच्च न्यायालय - वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण इम्फाल में है
17	मेघालय उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण शिलांग में है
18	ओडिशा उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण कटक में है
19	पटना उच्च न्यायालय
20	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण चंडीगढ़ [पंजाब, हरियाणा, चंड़ीगढ़#] में है

21	राजस्थान उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण जोधपुर (जयपुर*) में है
22	सिक्किम उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण गंगटोक में है
23	तेलंगाना उच्च न्यायालय
24	त्रिपुरा उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण अगरतला में है
25	उत्तराखंड उच्च न्यायालय – वह उच्च न्यायालय जिसका न्यायाधिकरण नैनीताल में है

पुस्तक में मूल पाठ -**02 पृष्ठ क्र 58-सारांश**

- वर्तमान में, भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं.

संशोधित पाठ के रूप में -**02 पृष्ठ क्र 58-सारांश**

- वर्तमान में, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं.

पुस्तक में मूल पाठ - **02 पृष्ठ क्र 22**

स्व-परीक्षण 1

आज तक, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?

A. 17

B. 19

C. 21

D. 23

पुस्तक में मूल पाठ -**02 पृष्ठ क्र 60**

स्व-परीक्षण के उत्तर

स्व-परीक्षण 1 **का उत्तर**

सही उत्तर C है.

आज तक, भारत में 21 उच्च न्यायालय हैं.

संशोधित पाठ के रूप में - पाठ **02 पृष्ठ क्र 22**

स्व-परीक्षण 1

आज तक, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?

A. 17

B. 19

C. 25

D. 23

संशोधित पाठ -**02 पृष्ठ क्र 60**

स्व-परीक्षण के उत्तर

स्व-परीक्षण 1 **का उत्तर**

सही उत्तर C है.

आज तक, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं.